रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052022-236009
CG-DL-E-25052022-236009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2254] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944
No. 2254] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISTHA 4, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2022

सं.10/2015–2020

विषयः चीनी की निर्यात नीति में संशाधन।

का.आ. 2375(अ.).—चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए, विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 के अध्याय 17 के क्रमांक 93 के तहत चीनी की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है।

क्रमांक	आईटीसी . (एचएस) कोड	विवरण	वर्तमान नीति	संशोधित नीति	नीतिगत शर्त
93	1701 14 90 1701 99 90	चीनी (खांड, रिफाइंड चीनी, सफेद चीनी)	मुक्त	प्रतिबंधित	(i) 1 जून, 2022 से 31 अक्तूबर, 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी का निर्यात चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक

					वितरण मंत्रालय की विशिष्ट अनुमति के साथ ही अनुमत होगा। (ii) चीनी के निर्यात के लिए आवश्यक अनुमति जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी।

2. यह प्रतिबंध संबंधित सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत यूरोपीय संघ और यूएसए को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव।

चीनी (खांड, रिफाइंड और सफेद चीनी) के निर्यात को 1 जून, 2022 से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में रखा गया है (यूरोपीय संघ और यूएसए को सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के अन्तर्गत निर्यात की जा रही चीनी की निर्धारित मात्रा को छोडकर) दिनांक 1 जून, 2022 के बाद चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त विशिष्ट अनुमति प्रस्तुत करने (डीएफपीडी द्वारा अलग से अधिसूचित की जाने वाली प्रकिया के अनुसार) पर निर्यात को अनुमति दी जाएगी।

[फा.सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/वॉल्यूम.8/ई–20749]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2022

No. 10/2015-20

Subject: - Amendment in Export Policy of sugar.

S.O. 2375(E).—In order to maintain domestic availability and price stability of sugar, Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby amends export policy of sugar under S.No.93 of Chapter 17 of ITC (HS), Schedule – II as under:

S.No.	ITC (HS) Code	Description	Existing Policy	Revised Policy	Policy condition
93	1701 14 90 1701 99 90	Sugar (Raw Sugar, Refined Sugar and White Sugar)	Free	Restricted	(i) With effect from 1st June, 2022 upto 31st October, 2022 or until further orders, whichever is earlier, export of sugar is allowed only with specific permission from Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution (DFPD), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. (ii) Detailed procedure for issue of necessary permissions for export of sugar will be notified separately by Department of Food and Public Distribution (DFPD).

2. This restriction is not applicable to Sugar being exported to EU and USA under CXL and TRQ quota as per prescribed procedure in the respective Public Notices.

3. Effect of this Notification:

Export of Sugar (Raw, Refined and White sugar) is placed under 'Restricted' category from 1st June, 2022 onwards (except fixed quantity of sugar being exported under CXL and TRQ quota to EU and USA). Export after 01.06.2022 will be allowed on production of specific permission (as per the procedure to be notified separately by DFPD) from Directorate of Sugar, Department of Food and Public Distribution (DFPD), Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

[F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol.8/E-20749]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.25 15:55:34 +05'30'